प्रकरण उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 18-12-14
को पेश हो।

रीडर

18-12-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
प्रतिपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब (अन्य कार्य में व्यस्त हैं)
दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 12-2-15
को पेश हो।

रीडर

12-2-15 वकील वादी उप० है। तलवी प्रतिवादी नं० 1
की जाकर पत्रावली दि० 26-3-15 को पेश हो।

26-3-15 वकील वादी उप० है। प्रतिवादी नं० 1 को
जारी सम्मन अदम/बाद तामील वापिस नहीं
आया है। अतः प्रतिवादी नं० 1 की पुनः तलवी
की जाकर पत्रावली दि० 30-4-2015 को पेश हो।

30-4-15 वकील वादी उपस्थित है। तलवी प्रतिवादी
नं० 1 की जाकर पत्रावली दि० 4-6-2015 को
पेश हो।

4-6-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/प्रत्यर्थी/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी ~~भ्रमण पर/अवकाश पर है~~/अन्य
कार्यों में व्यस्त है/~~स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-7-15
को पेश हो।

रीडर

6-14-4-15
अ/7/10

14-7-2015 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
में शिविर उदेईकलां पर पेश हुई। ~~परसादी~~ परसादी
वादी परसादी व प्रतिवादिया लक्ष्मीदेवी उपस्थित
है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश
किया है कि वादी परसादी को स्व० दौलत व
उसकी पत्नि सुन्दरबाई ने वर्ष 1971 में गोद ले
लिया था। तभी से परसादी उनके यहां पुत्र के रूप
में रह रहा है। प्रतिवादिया लक्ष्मी देवी ने वादी
परसादी के हक में ख०नं० 1564, 1565, 1576

हवाला
शामिल
शिविर

[illegible]
[illegible] 14-7-15

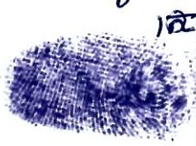

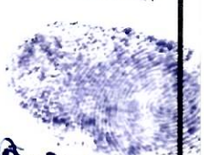

2359, 2544 का हकत्याग भी कर दिया है इसलिए वादी को गोदपुत्र मानते हुए इस भूमि का खातेदार घोषित कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। पक्षकारों ने राजीनामा स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत मामले में वादी परसादी, प्रतिवादिया लक्ष्मीदेवी, स्वतंत्र गवाह रामकिशोर मीना, मीठालाल बैरवा, बाला बैरवा, मूड्या बैरवा के बयान दर्ज किए गए। बयानो के अनुसार यह बात सामने आई है कि वादी परसादी को दोला व उसकी पत्नी सुन्दरबाई ने ~~xxx~~ 45-55 साल पहले ही गोद ले लिया था एवं तभी से वादी परसादी उनके पास ही बतौर पुत्र रहता आ रहा है। लक्ष्मीदेवी मृतक दौला व सुन्दरबाई की एकमात्र पुत्री है जिसकी शादी भी परसादी ने ही की है। स्वयं लक्ष्मीदेवी भी अपने बयानो में उपरोक्त तथ्य को स्वीकार करती है तथा उसने वादग्रस्त भूमि का हकत्याग भी वादी के पक्ष मे कर दिया जाना अवगत कराया है।

इन सब बयानों से एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

अतः वाद वादी बकए राजीनामा डिक्री किया जाकर भूमि ख० नं० 1564, 1565, 1576, 2359 व 2544 ग्राम उदेईकलां का वादी परसादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Ganga P.

(गंगा प्रसाद गुप्ता)	(रवि कुमार शर्मा)	(मुनिदेव यादव)
एड० सदस्य	एड० सदस्य	अध्यक्ष
लोक अदालत	लोक अदालत	लोक अदालत
गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी एवं